कार्यालय–अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / दस–1(क) / 4695 / 2025::लखनऊ::नवम्बर 27 2025

::–परिपत्र–::

पीठों में कार्यरत अधिकरी / कर्मचारियों की समय से कार्यालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा पूर्व में परिपत्र निर्गत किये गये हैं परन्तु मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय पीठ कार्यालय में कर्मचारीगण समय से उपस्थित नही हो रहे है तथा समय से पूर्व कार्यालय छोड़ देते हैं और यह स्थिति उन पीठों में अधिक चिन्ताजनक है जिन पीठों में सदस्य का पद रिक्त है। शासन द्वारा कार्यालय में समय से उपस्थिति के सम्बन्ध में अनेकों शासनादेश जारी किये हैं। राजकीय कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु कर्मचारियों का समय से कार्यालय उपस्थित होना आवश्यक है। कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करना सदस्य / प्रभारी सदस्य का उत्तरदायित्व है।

मुख्यालय पर समयबद्ध उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि प्रातः 09:30 से सांय 06:00 तक अधिनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

विलम्ब से आने वाले कर्मचारियों के नाम के सम्मुख उपस्थिति पंजिका में क्रॉस लगाते हुए सूचना मुख्यालय प्रेषित की जाय तथा विलम्ब से उपस्थित कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यावाही की जायेगी।

अतः समस्त अधिकरी व कर्मचारी समय से कार्यालय उपस्थित रहना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय समय से पूर्व पीठासीन अधिकरी से पूर्वानुमति के बिना कार्यालय न छोड़ें।

ह0 / 27.11.2025
(रमेश चन्द–प्रथम)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
2. प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परिपत्र का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
3. वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय को गार्ड फाईल हेतु।
4. वेब अधिकरी, मुख्यालय।

ह0 / 27.11.2025
(रमेश चन्द–प्रथम)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से

27/11/25

प्रशासनिक अधिकारी
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।